राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–07/2024
अर्चना कुमारी बनाम् नारायण दास शर्मा।

यह वाद श्रीमती अर्चना कुमारी, पिता–श्री चतुर्भुज शर्मा, पता–ग्राम–गुड्डोपुर, पोस्ट–फख़रपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल, बिहार, पिन–804401 द्वारा श्री नारायण दास शर्मा(वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–07, पंचायत फख़रपुर, प्रखण्ड–अरवल, बिहार, पिन–804401) के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) सह पठित धारा–136(2) के तहत पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–07, पंचायत फख़रपुर, प्रखण्ड–अरवल, बिहार, पिन–804401 के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

02. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती अर्चना कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री नारायण दास शर्मा की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण सिंह द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री विनोद कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को प्राधिकृत किया गया।

03. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद की लिखित प्रति प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को हस्तगत कराई गई। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को भारतीय दंड विधान की धारा–498(a) के तहत दो वर्ष साधारण कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही साथ दहेज प्रतिषेध की अधिनियम की धारा–04 के तहत एक वर्ष साधारण कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त दण्डादेश को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा बदला नहीं गया है। अतः इन्हें पंचायत समिति के सदस्य के पद से पदमुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(g) के प्रावधानों के तहत सजा दी जाने के साथ ही प्रतिवादी प्रखण्ड पंचायत समिति के सदस्य पद हेतु अयोग्य हो गए हैं।

04. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उसके मुवक्किल की सजा पर आपराधिक अपील वाद संख्या–03/2024, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धी एवं दंडादेश पर अपील के अंतिम निष्पादन तक स्थगनादेश दिया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा स्थगनादेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा आयोग को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C.No.15215/2009, हीरालाल साह बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग के न्याय–निर्णय की प्रति का अवलोकन कराया गया तथा यह दावा किया गया कि दोष सिद्धी

पर स्थगन के साथ ही दण्डादेश स्वतः समाप्त हो जाता है और दण्डादेश के समाप्त हो जाने के साथ ही अयोग्यता से संबंधित प्रावधान निष्प्रभावी हो जाते है।

वादी के द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(g) में दिए गए, दण्डादेश को उलटने का प्रावधान अंकित है, न कि स्थगन होने पर आयोग्यता समाप्त होने का प्रावधान अंकित है।

05. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन (पत्रांक–242/पं0, दिनांक–05.03.2024) में वादी के विद्वान अधिवक्ता के दावें की पुष्टि की गई है। उनके द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन द्वारा आयोग को यह बताया गया कि अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकरी, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–23.12.2023 को श्री नारायण दास शर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा–498 A के तहत दो वर्ष साधारण कारावास एवं रू0 10,000/–अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। इसके अतिरिक्त उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–4 के तहत एक वर्ष साधारण कारावास तथा रू0 5,000/– अर्थदण्ड की सजा दी गयी है।

उक्त सजा के विरूद्ध Criminal Appeal No. 03/2024 मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–07.02.2024 को दिये गये आदेश में अपीलकर्त्ता को औपबंधिक जमानत प्रदान करते हुये, अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपील के अंतिम निष्पादन तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया है।

06. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण श्री नारायण दास शर्मा (पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–07, पंचायत फख़रपुर, प्रखण्ड–अरवल, बिहार, पिन–804401) को निर्वाचन के उपरांत सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में 06 (छः) माह से अधिक कारावास से दंडित किए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) के तहत **स्वयमेव** (Automatically) निरहर्रित होने पर उन्हें पदमुक्त करने हेतु लाया गया वाद है।''

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा G.R. No.335/2018, TR No.–1960/2022 में दिनांक–23.12.2023 को आदेश पारित करने के साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) के तहत **स्वयमेव**(Automatically) निरहर्रित हो गये है, जिसकी पुष्टि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिवेदन से भी होती है।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक–23.12.2023 को ही दंडादेश पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, औरंगाबाद में Criminal Appeal No. 03/2024, दायर किया गया है, जिसमें उन्हें अन्तरिम राहत प्रदान करते हुये, जमानत प्रदान की गयी है और साथ ही साथ दोषसिद्धी एवं दण्डादेश पर अपील के निष्पादन तक स्थगन आदेश प्रदान किया गया है।

आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) का सूक्ष्मावलोकन किया गया, जो निम्नवत् हैः–

"Has been sentenced by a criminal court whether within or out of India to imprisonment for an offence, other than a political offence, for a term exceeding six months or has been ordered to furnish security for good behaviour under Section 109 or Section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2, 1974) and such sentence or order not having subsequently been reversed."

आयोग द्वारा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित किये गये, न्याय–निर्णय हीरा लाल साह बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार (C.W.J.C. No. 15215/2009) का अवलोकन भी किया गया, तो पाया गया कि उक्त न्याय–निर्णय उक्त वाद विशेष के लिये था, क्योंकि संजय वर्मा उर्फ संजय महतो बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य (C.W.J.C. No. 2387/2010) मामले में माननीय न्यायाधीश द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) के प्रावधानों के महत्व को स्वीकार करते हुये, अंकित किया गया है किः– "In my view, once disqualification stands removed by reversal, as provided in section-136(1)(g) itself,"

इस वाद के निष्पादन में यक्ष प्रश्न यही है कि निचली अदालतों के न्याय–निर्णयों पर अपीलीय न्यायालयों द्वारा दिये गये अल्पकालिक राहत यथा Abeyance, Suspension आदि को Acquittal or Reversal of sentence के समतुल्य माना जाए, अथवा नहीं। बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–(1)(g) में अंकित प्रावधानों का हू–ब–हू अनुशरण किया जाए, अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो भिन्न–भिन्न वादों में अपनाए गए भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों में से एक को, क्योंकि इस संबंध में द्वि–सदस्यीय पीठ अथवा पूर्ण पीठ का कोई न्याय–निर्णय उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नाजीर अहमद वाद में दिये गये न्याय–निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें Taylor v. Taylor, (1876) में स्थापित इस मूल संकल्पना को मान्यता दी गई है कि **"किसी वैधानिक प्रावधान का अनुपालन उसमें विहित रीतियों से ही किया जाना चाहिए"**। "In Nazir Ahmed's case, 63 Ind App 372: (AIR 1936 PC 253 (2)) the Judicial Committee observed that the principle applied in Taylor v. Taylor, (1876) I Ch.D 426 to a Court, namely, that where a power is given to do a certain thing in a certain way, the thing must be done in that way or not at all and that other methods of performance are necessarily forbidden, applied to judicial officers making a record under S. 164 and, therefore,

held that the magistrate could not give oral evidence of the confession made to him which he had purported to record under S. 164 of the Code. It was said that otherwise all the precautions and safeguards laid down in Ss. 164 and 364, both of which had to be read together would become of such trifling value as to be almost idle and the **"it would be an unnatural Construction to hold that any other procedure was permitted than that which is laid down with such minute particularity in the sections themselves."**

स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिखित वैधानिक प्रावधानों को अधिक महत्व और वरीयता प्रदान किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा संदर्भित न्याय–निर्णय का आधार नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य वाद में (2007 (1) PLJR (SC) 329) दिया गया न्याय–निर्णय है, जो कि the Representation of the Peoples Act, 1951 के प्रावधानों के संदर्भ में दिया गया है, जबकि the Representation of the Peoples Act, 1951 के प्रावधान स्पष्ट रूप से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से बिल्कुल भिन्न है। The Representation of the Peoples Act, 1951 के प्रावधान निम्नरूपेण है – Section 8 (3) A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years (other than any offence referred to in sub-section (1) or sub-section(2)) shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.

(4) Notwithstanding anything (in sub-section(1), sub-section(2) or sub-section (3)), a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who the date of the conviction is a member of Parliament or the Legislature of a State, take effect until three months have elapsed from that date or, if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence, until that appeal or application is disposed of by the Court.

उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि the Representation of the Peoples Act, 1951 में Reversal of Conviction/ Punishment की संकल्पना नहीं है, बल्कि सजा दिये जाने के उपरांत अयोग्यता लागू करने हेतु तीन माह अथवा अपीलीय न्यायालय के द्वारा विचाराधीन मामलें के निष्पादन तक राहत प्रदान किया गया है, जबकि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में इस प्रकार का कोई राहत प्रदान नहीं किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधान स्पष्ट रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा Sentence reversal तक कोई राहत प्रदान नहीं करता। इसी प्रकार जहाँ the Representation of the Peoples Act, 1951 में दो वर्ष या अधिक की सजा होने पर अयोग्यता लागू होती है, वहीं बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों में मात्र छः माह या अधिक कि सजा होने पर ही अयोग्यता का प्रावधान प्रभावी हो जाते है।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नाजीर अहमद वाद में स्थापित किये गये मूल संकल्पना का अनुशरण करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम कि धारा 136 (1)(g) के विहित प्रावधानों को विहित रीति में लागू/स्वीकार करने हेतु बाध्य है। चूँकि विचाराधीन मामलें में प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय द्वारा दो अलग–अलग मामलों में क्रमशः दोषी मानते हुए दो वर्ष एवं एक वर्ष के कारावास की सजा दी गई है, तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अब तक उन्हें दोष मुक्त करते हुए उक्त न्याय–निर्णय को पलटा नहीं है, अतएव

प्रतिवादी बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) के तहत पंचायत सदस्य समिति के पद पर निर्वाचन पश्चात अयोग्यता (Post election disqualification) के अधीन पद धारण योग्य नहीं है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री नारायण दास शर्मा, पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–07, पंचायत फख़रपुर, प्रखण्ड–अरवल, बिहार, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा G.R. No.335/2018, TR No.–1960/2022 में दिनांक–23.12.2023 को आदेश पारित करने के साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(g) के तहत स्वयमेव (Automatically) निरहर्रित हो गये हैं। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री नारायण दास शर्मा को तत्काल प्रभाव से निरर्हित घोषित करते हुए, पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–07, पंचायत फख़रपुर, प्रखण्ड–अरवल, बिहार, के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही उक्त पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–07, पंचायत फख़रपुर, प्रखण्ड–अरवल, बिहार, का पद रिक्त समझा जाएगा, जिसे नियमानुसार भरने की कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–07/2024

पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–07/2024 2397

पटना, दिनांक–2.6.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

02/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी